न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सोहन राम चौधरी (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या–36/2019 रजू. दिनांक–16.07.2019 निर्णय दिनांक–30.01.2020

1. मुकेश कुमार पुत्र श्रीराम
2. ललित कुमार पुत्र श्रीराम
3. कमला देवी पत्नी श्रीराम
4. नेतराम पुत्र सुखराम
5. सुरेश कुमार पुत्र मुकन्दराम जातियान अहीर निवासीयान श्रीकृष्णनगर तहसील, मुण्डावर जिला अलवर , राज0।
6. सुनिता देवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी रणसीमाजरी तहसील बावल जिला रेवाडी , हरियाणा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बलबीर उर्फ बीरबल पुत्र हरलाल जाति अहीर निवासी मैनपुर की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर , राज0।
2. श्योदयाल पुत्र रघुनाथ
3. मुर्ती देवी
4. लाली देवी पुत्रीयान रघुनाथ जातियान अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर , राज0।
5. भजनलाल पुत्र किस्तूरी
6. बाबूलाल
7. किशोरी उर्फ किरोडी
8. लखनलाल पुत्रान गुलजारीलाल
9. प्रेमलता देवी पत्नी बिडदीचन्द
10. विजयानन्द पुत्र बिडदीचन्द
11. सीमा देवी
12. प्रति देवी पुत्रीयान श्री बिडदीचन्द
13. अशोक पुत्र प्रभाती (हजफ)
14. राजेन्द्र पुत्र प्रभाती
15. सुमित्रा देवी पत्नी नेमीचन्द
16. नरेन्द्र पुत्र नेमीचन्द
17. रेणू पुत्री नेमीचन्द
18. देवकी देवी
19. भगवती देवी
20. गीता देवी पुत्रीयान बादामी जातियान महाजन निवासीयान पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
21. प्रकाशचन्द
22. मुखराम पुत्रान श्री लीलाराम
23. सुखराम पुत्र बुद्धा जातियान अहीर निवासीयान श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
24. दयानन्द पुत्र शेरसिंह
25. अशोक कुमार पुत्र भूपसिंह
26. शान्ति देवी पत्नी भूपसिंह

Scanned with CamScanner

27. सुमन देवी पत्नी विकम
28. अंकूर पुत्र विकम
29. अंजली देवी
30. अन्तिमा देवी पुत्रीयान विक्रम
31. मल्ला पुत्र पिराना जातियान अहीर निवारीयान श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर , राज0।
32. महेन्द्रसिंह पुत्र दरियाव जाति चमार निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कचहरी रोड तहसील व जिला रोहतक, हरियाणा।
33. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर , राज0।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :– 30.01.2020

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि आ0 ख0न0 890/0.70, 1497/889/0.34, 888/1.76, 893/0.93, 901/0.34 है0 वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर मिन प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि हैं लेकिन आने–जाने के लिए पहुंच हेतु कोई आम रास्ता या रास्ता ना तो राजस्व रिकॉर्ड में है एवम् ना ही मौके पर कोई रास्ता विद्यमान है। चूंकि बदलते परिवेश में आजकल ऊंट, बैल से कृषि कार्य करना असम्भव हो गया है। कृषि कार्य में ट्रैक्टर का ही उपयोग, उपभोग करते है। प्रार्थीगण दीगर लोगों की आराजी में से उनकी अनुमति लेकर आते जाते रहे है तथा फसल बिजाई करने के बाद कृषि कार्य के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिन प्रार्थीगण संख्या 01 ल0 04 की कृषि भूमि आ0 ख0न0 890 के तरफ उत्तर में अप्रार्थी संख्या 05 ल0 20 की आ0 ख0न0 886/1.15 है0 वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर में स्थित है जिसके तरफ पूर्व में आ0 ख0न0 535/0.89 है0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 01 ल0 04 के नाम दर्ज है। आ0 ख0न0 890 से आ0 ख0न0 535 के मध्य दूरी मात्र 175 फुट है तथा आ0 ख0न0 535 के तरफ उत्तर मे आ0 ख0न0 530/1.23 है0 वाके ग्राम मैनपुर में स्थित है जिसकी पश्चिमी डोल पर गैरमुमकिन आ0 ख0न0 1012 व 1049 वाके ग्राम पीपली की सीमा में स्थित है के पूर्वी दिशा का अंतिम बिन्दु से आ0 ख0न0 530 ग्राम मैनपुर की पश्चिमी डोल पर मिलता है जो आ0 ख0न0 530 के दक्षिणी डोल से उत्तर की ओर 138 फुट पर आकर मिलता है एवं गैरमुमकिन रास्ता आ0 ख0न0 1012 व 1049 के पूर्वी दिशा का अन्तिम बिन्दु से आगे आ0 ख0न0 530 मैनपुर में 192 फुट पूर्व दिशा में सीधा चलते हुये उसके बाद तरफ दक्षिण में घूमकर 138 फुट चलने के बाद आ0 ख0न0 535 वाके श्रीकृष्णनगर के उत्तरी–पश्चिमी कोने से आ0 ख0न0 535 की पश्चिमी डोल के साथ–साथ दक्षिणी डोल तक 276 फुट दूरी तक मौके पर रास्ता मौजूद है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मौके पर स्थित सडक मिट्टी की सडक है जो ग्राम पंचायत मैनपुर द्वारा मनरेगा योजना द्वारा बनाई गई थी जो रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

ग्राम पीपली से श्रीकृष्णनगर में जाता है। यह रास्ता सदैव से चालू था। मात्र रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, मौके पर स्थित रास्ता आ0 ख0न0 535 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर जाकर मिलता है। आ0 ख0न0 530 वाके मैनपुर तथा आ0 ख0न0 535 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर भूमि में से चाहा गया है। रास्ता की भूमि आ0 ख0न0 530 वाके ग्राम मैनपुर का राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम होकर काबिज काश्त है तथा आ0 ख0न0 535 वाके श्रीकृष्णनगर के राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 भाग का अप्रार्थी संख्या 01 तथा 1/2 भाग के अप्रार्थी संख्या 02 ल0 04 के नाम दर्ज है लेकिन मौके पर बहामी बंटवारे के हिसाब से पूर्व से ही आ0 ख0न0 535 के 1/2 भाग जो पश्चिमी डोल के साथ स्थित है तथा उस पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं पूर्वी डोल के साथ स्थित 1/2 भाग पर अप्रार्थी संख्या 02 ल0 04 काबिज काश्त है। पूर्व में मनरेगा योजना के तहत बनाया रास्ता भी अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में से बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के हिस्से की आराजी नहीं ली गई व चाहे गये रास्ते के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 ही काबिज काश्त है तथा रास्ते में जाने वाली भूमि का अप्रार्थी नंबर 01 को ही नुकसान हो रहा है। इस प्रकार रास्ते में लगने वाली भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में से ही राजस्व रिकॉर्ड में घटाया जाना न्यायहित में होगा इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 02 ल0 04 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज के कारण ही पक्षकार बनाया है, राजस्व रिकॉर्ड में पतराम का नाम दर्ज है जो लावल्द फौत हो चुका है जिसकी विधिक वारिस प्रार्थी संख्या 02 ल0 04 ही है। गैरमुमकिन रास्ता आ0 ख0न0 1012 वाके ग्राम पीपली के पूर्वी बिन्दू से आ0 ख0न0 530 वाके ग्राम मैनपुर में 192 फुट उसके बाद आ0 ख0न0 530 में ही दक्षिण की ओर 138 फुट के बाद तरफ दक्षिण में आ0 ख0न0 535 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर की पश्चिमी डोल के साथ-साथ दक्षिणी डोल तक 278 फुट व उक्त आ0 ख0न0 535 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से तरफ पश्चिम में आ0 ख0न0 886 वाके ग्राम चिरूणी की पूर्वी डोल के साथ तरफ दक्षिण की ओर 175 फुट दूरी पर स्थित प्रार्थीगण का आ0 ख0न0 890 वाके ग्राम चिरूणी स्थित है। आ0 ख0न0 886 में बहामी बंटवारे के आधार पर पूर्वी डोल से लगता हुआ अप्रार्थी संख्या 05 ल0 10 काबिज काश्त है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में 13/15 हिस्सा है, शेष के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा है क्योंकि मौके पर काबिज काश्त नहीं है मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम है, इस प्रकार गैरमुमकिन रास्ता 1049 वाके ग्राम पीपली के पूर्वी (अंतिम बिन्दु) से ख0 न0 890 की उत्तरी डोल तक कुल 681 फुट है जिसमें 13 फुट चौडाई का रास्ता चाहा गया है। जिसका जो भी प्रतिफल बनेगा नियमानुसार मिन प्रार्थीगण 01 ल0 04 अदा करने को तैयार रहेगे। ख0 न0 890 की उत्तरी डोल के साथ-साथ 286 फुट लम्बा तथा 13 फुट चौडा तथा आ0 ख0न0 1497/889 (जो नक्शा ट्रेस में 889 अंकित है 889 का पूर्वी 1/2 हिस्सा) अप्रार्थी संख्या 21 ल0 23 के नाम दर्ज है की उत्तरी डोल के साथ 151 फुट लम्बाई 13 फुट चौडाई तथा आ0 ख0न0 1498/889 (आ0 ख0न0 889 का पश्चिमी हिस्सा 1/2 भाग) की उत्तरी डोल के साथ 151 फुट तथा पश्चिमी डोल से लगता हुआ दक्षिणी पश्चिमी कोने तक 265 फुट कुल लम्बाई 420 फुट चौडाई 13 फुट का उचित प्रतिफल जमींन के बदले जमींन या डी एल सी रेट का दो गुना प्रार्थी संख्या 05 व 06 नियमानुसार अदा करने को तैयार है तथा आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल जहां आ0 ख0न0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned with CamScanner

1498/889 की पश्चिमी डोल आकर मिलती है वहां से आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल के साथ 300 फुट दूरी पर पश्चिम की ओर प्रार्थीया संख्या 06 व अन्य सहखातेदारों की कृषि भूमि आ0 ख0न0 893 स्थित है लेकिन मौके पर बहामी बंटवारे के आधार पर प्रार्थीया संख्या 06 ही काबिज काश्त है। आ0 ख0न0 893 की पूर्वी डोल तक 300 फुट लंबाई 13 फुट चौडाई के रास्ता बाबत प्रार्थीया संख्या 06 अप्रार्थी संख्या 21 ल0 23 को नियमानुसार उचित प्रतिफल तथा आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल से दक्षिणी डोल तक बीचो–बीच 265 फुट लंबाई व 13 फुट चौडाई का प्रार्थीगण 01 ल0 03 अप्रार्थी संख्या 21 से 23 को उचित प्रतिफल तथा आ0 ख0न0 896 की पश्चिमी डोल के साथ 250 फुट लंबाई 13 फुट चौडाई का रास्ता चाहा गया है जिसका प्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 अप्रार्थी संख्या 32 को उचित प्रतिफल अदा करने को तैयार है। चूंकि आ0 ख0न0 896 की दक्षिणी डोल के बाद प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की आ0 ख0न0 901 व 904 स्थित है। आ0 ख0न0 896 के सह खातेदारों में अर्से दराज पूर्व से आपसी बहामी बंटवारा हो रहा है जिसके आधार पर मध्य बिन्दू से पश्चिमी 1/2 भाग पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 32 काबिज काश्त है शेष पूर्वी 1/2 भाग पर अप्रार्थी संख्या 24 लगायत 31 काबिज काश्त है व मौके पर डोल बने हुये है इसलिए आ0 ख0न0 896 वाके चिरूणी के 1/2 भाग कब्जे काश्त खातेदार पश्चिमी भाग पर काबिज अप्रार्थी संख्या 32 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है तथा पूर्वी भाग पर काबिज अप्रार्थी संख्या 05 ल0 20 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। चूंकि आ0 ख0न0 892 के सालिम हिस्से पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 21 लगायत 23 काबिज काश्त है जिनका राजस्व रिकॉर्ड में 5/6 हिस्सा दर्ज व अन्य हिस्सेदार अप्रार्थी संख्या 24 ल0 31 खसरा नंबर 892 पर काबिज काश्त नहीं है इसलिए उनके खिलाफ अनुतोष नहीं चाहा गया है। आ0 ख0न0 535 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर के मध्य बिन्दू से पश्चिम की ओर 1/2 भाग पर काबिज खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है जो मौके पर काबिज काश्त है शेष अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के कारण कानूनी दृष्टि से पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है, राजस्व रिकॉर्ड में उनके हिस्से में से ही रास्ते में लगने वाले भूमि का रकबा कम होने का निवेदन किया है साथ ही निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने का कोई और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। सबसे छोटा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही है आदि–आदि का निवेदन करते हुए पक्षकारान ग्राम मैनपुर ग्राम श्रीकृष्णनगर व ग्राम पीपली के वाशिंदा है तथा विवादित आराजी भी यहीं पर स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर श्रवण योग्य है। कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण को आ0 ख0न0 530 वाके ग्राम मैनपुर की पश्चिमी डोल से जहां से गैरमुमकिन रास्ता आ0 ख0न0 1049 आकर मिलता है वहां से 192 फुट लम्बा पूर्व दिशा में उसके बाद 138 फुट लम्बा दक्षिण दिशा आ0 ख0न0 535 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर की उत्तरी डोर तक तथा आ0 ख0न0 535 की उत्तरी डोल से पश्चिमी डोल के साथ–साथ दक्षिणी डोल तक 278 फुट लम्बा व इसी आ0 ख0न0 535 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पश्चिम में स्थित आ0 ख0न0 886 वाके चिरूणी के पूर्वी डोल के साथ–साथ दक्षिणी डोल तक वाके चिरूणी के आ0 ख0न0 890 के उत्तरी डोल तक 175 फुट लम्बा तथा इसी आ0 ख0न0 890 के उत्तरी डोल के साथ–साथ पश्चिमी डोल तक आ0 ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

Scanned with CamScanner

1497/889 की पूर्वी डोल से पश्चिमी डोल तक उत्तरी डोल के साथ 151 फुट लम्बा, आ0 ख0न0 1498/889 की पूर्वी डोल से पश्चिमी डोल तक 151 फुट लम्बा उत्तरी डोल के साथ-साथ आ0 ख0न0 889 की पश्चिमी डोल के साथ दक्षिणी डोल तक 250 फुट लम्बा तथा आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल जहां 889 की पश्चिमी डोल आकर मिलती है वहां से बीचों-बीच दक्षिणी डोल जहां खसरा नंबर 896 की पश्चिमी डोल मिलती है तक 265 फुट लम्बा तथा आ0 ख0न0 896 के मध्य बिन्दु से पश्चिमी 1/2 भाग की पश्चिमी डोल के साथ आ0 ख0न0 901 की उत्तरी डोल तक 250 फुट लम्बा तथा आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल जहां पर आ0 ख0न0 889 (1498/889) के पश्चिमी डोल आकर मिलती है वहां से तरफ पश्चिम में स्थित आ0 ख0न0 893 वाके चिरूणी की पूर्वी डोल तक 300 फुट लम्बा तथा समस्त खसरा नम्बरान में 13 फुट चौडाई का रास्ता, रास्ते की ऐवज में प्रत्येक अप्रार्थीगण का जो भी रकबा जायेगा उसके बदले समान रकबा भूमि या डी एल सी रेट के अनुसार रास्ते में लगने वाली भूमि की कीमत से दुगनी कीमत उसकी भरपाई कानूनन रूप से अदालत श्रीमान के आदेशानुसार मिन प्रार्थीगण करने को तैयार रहेंगे। प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने व रिकॉर्ड में अंकन कराये जाने के आदेश दिये जाने बाबत का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थीगण संख्या 02,03,04, 24 ल0 31 अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रार्थना पत्र के बाबत तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर जरिये पत्रांक 02 दिनांक 01.01. 2020 द्वारा मय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो शामिल पत्रावली है शेष अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये परंतु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये गये एवं प्रार्थना पत्र के बाबत अपनी-अपनी सहमति जाहिर की।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के बाबत दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबंदी किता 10 प्रदर्श-01, नक्शा ट्रेस वाके ग्राम चिरूणी प्रदर्श-02, नकल जमाबंदी संवत् 2071-2074 ,ख0न0 1049 किता 02 प्रदर्श-03, नक्शा ट्रेस वाके ग्राम पींपली प्रदर्श-04, नकल जमाबंदी ख0न0 1041 से 1055 संवत् 2071-2074 प्रदर्श-05, नकल नक्शा ट्रेस ख0न0 530, 531 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर प्रदर्श-06, नकल जमाबंदी संवत् 2029 ख0न0 530, 535 प्रदर्श-07, शपथ-पत्र/सहमति पत्र AC 799191 प्रदर्श-08, शपथ-पत्र/सहमति पत्र AC 799190 प्रदर्श-09, शपथ-पत्र/सहमति पत्र AF 994580 प्रदर्श-10, शपथ-पत्र/सहमति पत्र दिनांक 06.09.2019 प्रदर्श-11, शपथ-पत्र/सहमति पत्र दिनांक 07.10.2019 किता 02 प्रदर्श-12, शपथ-पत्र/सहमति पत्र दिनांक 10.10.2019 प्रदर्श-13 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ-पत्र मुकेश कुमार पी डब्ल्यू 01 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के बाबत् बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के जिमनों को वकील प्रार्थी ने दोहराते हुए अभि कथन किया कि मुताबिक प्रस्तुत प्रदर्श-08, 09, 10, 11, 12, 13 शपथ-पत्र/सहमति पत्रानुसार मुताबिक प्रार्थना पत्र चाहे गये रास्ते

उपखण्ड अधि.
मुण्डावर (अलवर) रा..

Scanned with CamScanner

हेतु भूमि बाबत् संबंधित अप्रार्थीगणों को उचित प्रतिफल दिया जा चुका है जिन्होंने उक्तानुसार प्रस्तुत सहमति पत्रानुसार प्रतिफल प्राप्त कर लिया जाना स्पष्ट रूप से अंकित किया है साथ ही चाहे गये खसरा नंबरान में से उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाता है तथा अमल दरामद किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है का कथन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार गुण्डावर की रिपोर्ट कमांक 02 दिनांक 01.01.2020 के बाबत प्रार्थीगण की ओर से सहमति जाहिर करते हुए प्रस्तुत रिकॉर्ड यथा प्रदर्श 01 ल0 13 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्र मुकेश कुमार पी डब्ल्यू 01 के जिमनों को भी दोहराते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का रास्ता दिलाये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई व पत्रावली एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आ0 ख0न0 530 वाके ग्राम मैनपुर की पश्चिमी डोल से जहां से गैरमुमकिन रास्ता आ0 ख0न0 1049 आकर मिलता है वहां से 192 फुट लम्बा पूर्व दिशा में उसके बाद 138 फुट लम्बा दक्षिण दिशा आ0 ख0न0 535 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर की उत्तरी डोर तक तथा आ0 ख0न0 535 की उत्तरी डोल से पश्चिमी डोल के साथ–साथ दक्षिणी डोल तक 278 फुट लम्बा व इसी आ0 ख0न0 535 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पश्चिम में स्थित आ0 ख0न0 886 वाके चिरूणी के पूर्वी डोल के साथ–साथ दक्षिणी डोल तक वाके चिरूणी के आ0 ख0न0 890 के उत्तरी डोल तक 175 फुट लम्बा तथा इसी आ0 ख0न0 890 के उत्तरी डोल के साथ–साथ पश्चिमी डोल तक आ0 ख0न0 1497/889 की पूर्वी डोल से पश्चिमी डोल तक उत्तरी डोल के साथ 151 फुट लम्बा, आ0 ख0न0 1498/889 की पूर्वी डोल से पश्चिमी डोल तक 151 फुट लम्बा उत्तरी डोल के साथ–साथ आ0 ख0न0 889 की पश्चिमी डोल के साथ दक्षिणी डोल तक 250 फुट लम्बा तथा आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल जहां 889 की पश्चिमी डोल आकर मिलती है वहां से बीचों–बीच दक्षिणी डोल जहां खसरा नंबर 896 की पश्चिमी डोल मिलती है तक 265 फुट लम्बा तथा आ0 ख0न0 896 के मध्य बिन्दु से पश्चिमी 1/2 भाग की पश्चिमी डोल के साथ आ0 ख0न0 901 की उत्तरी डोल तक 250 फुट लम्बा तथा आ0 ख0न0 892 की उत्तरी डोल जहां पर आ0 ख0न0 889 (1498/889) के पश्चिमी डोल आकर मिलती है वहां से तरफ पश्चिम में स्थित आ0 ख0न0 893 वाके चिरूणी की पूर्वी डोल तक 300 फुट लम्बा तथा समस्त खसरा नम्बरान में 13 फुट चौडाई का रास्ता दिलाये जाने के बाबत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार गुण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2020 'प्रदर्श–अ' अनुसार उपरोक्त आराजियात में से मुताबिक उक्त रिपोर्ट हाल राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

उपखण्डाधिकारी
गुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अमल दरामद किया जावे। रिपोर्ट दिनांक 01.01.2020 'प्रदर्श–अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Sd/- 30/01/2020

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
जिला अलवर (राज0)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.03.05 16:09:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: